

परियोजना का नाम:-मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-233/2012 के अन्तर्गत जनपद-देहरादून के विधान सभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौड़ा-द्वारा से चमेली चौक तक मार्ग के नव निर्माण हेतु अपेक्षित 3.01है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत लो0नि0वि0, को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.08 एवं 9.5.2008 के अनुसार)

"प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (आरक्षित वन भूमि-3.01 है0 तथा सिविल सोयम वन भूमि-0.00 है0 कुल 3.01 है0) मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास ✓ के अन्तर्गत आता है"।

उपरोक्तानुसार उक्त वन क्षेत्र का धनत्व वर्तमान कार्ययोजना के अनुसार 0.2 से 0.4 अर्थात (औसत) धनत्व 0.3 होता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रति है0 लगभग 205 होने के फलस्वरूप प्रस्तावित वन भूमि/कार्यस्थल का घनत्व 0.5 आंकलित किया गया है। जिस हेतु एन0पी0वी0 की प्रति हैक्टर दर रू0 8,45,000=00(रू0 आठ: लाख पैंतालीस हजार) मात्र है। उक्त दर के अनुसार एन0पी0वी0 धनराशि का आगणन रू0 25,43,450=00(रू0 पच्चीस लाख तैंतालीस हजार चार सौ पचास मात्र) किया गया है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।



प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन विभाग, मसूरी